प्रेस के लिए सूचना पत्र (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 40/2020)

तुरंत जारी करने के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने आज चैनल सलेक्टर एप लांच किया जो उपभोक्ताओं को अपना टीवी सब्सक्रिप्शन देखने और इसमें बदलाव करने में समर्थ बनाएगा।

नई दिल्ली, 25 जून 2020: भादूविप्रा ने मार्च 2017 में प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए 'नया विनियामक फ्रेमवर्क' अधिसूचित किया। नया फ्रेमवर्क 29 दिसंबर 2018 को लागू हुआ। टेलीविजन और प्रसारण क्षेत्र के लिए भादूविप्रा के नए विनियम/आदेश उपभोक्ताओं को उन टेलीविजन चैनलों का चयन करने की स्वतंत्रता देते हैं, जिन्हें वे देखना चाहते हैं।

पारदर्शिता और उपभोक्ता संरक्षण भादूविप्रा का महत्वपूर्ण अधिदेश है। प्रसारण सेवाओं के लिए नया टैरिफ आदेश जारी करने के बाद, यह देखा गया कि उपभोक्ताओं को अपने संबंधित डिस्ट्रीब्यूटेड प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स (डीपीओ) के वेब पोर्टल/एप्स पर अपनी पसंद के टीवी चैनलों/बुके को चुनने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए, प्राधिकरण ने एक एप विकसित करने का निर्णय लिया, जो भादूविप्रा द्वारा विकसित एपीआई के माध्यम से डीपीओ से डेटा प्राप्त करेगा।

तदनुसार, भादूविप्रा ने डीपीओ के साथ परामर्श के लिए 29 अगस्त 2019 को एक मसौदा संशोधन जारी किया जो डीपीओ को अपने एपीआई को साझा करने का अधिदेश देता है। उचित परामर्श प्रक्रिया के बाद, प्राधिकरण ने एपीआई को भादूविप्रा के साथ साझा करने को 9 अक्टूबर, 2019 के विनियम के माध्यम से डीपीओ अधिदेश दिया है ताकि उपभोक्ता भादूविप्रा द्वारा विकसित एप का उपयोग करके अपने सब्सक्रिप्शन में बदलाव और संशोधन कर सकें।

भादूविप्रा ने टेलीविजन उपभोक्ताओं को भरोसेमंद, दमदार और पारदर्शी प्रणाली मुहैया कराने के लिए एक टीवी चैनल सलेक्टर एप विकसित किया है। एप एपीआई के जरिये संबंधित डीपीओ के प्लेटफॉम से डाटा प्राप्त करता है। उपभोक्ता का सत्यापन उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजकर किया जाता है। अगर उपभोक्ता का मोबाइल नंबर डीपीओ के पास पंजीकृत नहीं है तो उपभोक्ता अपनी टीवी स्क्रीन पर ओटीपी प्राप्त करेगा। एप उपभोक्ताओं को निम्नलिखित सुविधाएं देता है:

1. अपना सब्सक्रिप्शन देखना
2. अपने डीटीएच/केबल ऑपरेटर द्वारा उपलब्ध कराए गए सभी चैनलों एवं बुके को देखना
3. अपने पंसद के चैनल चुनना और अनचाहे चैनलों को हटाना
4. पूरा समाधाना पाना; उसी मूल्य या कम मूल्य पर उपयोगकर्ता द्वारा चुने चैनलों/बुके का सर्वश्रेष्ठ संयोजन प्राप्त करना
5. लागू एनसीएफ (नेटवर्क क्षमता शुल्क) में चैनल शामिल करने की सुविधा
6. वर्तमान सब्सक्रिप्शन में बदलाव करने की सुविधा
7. अपने सब्सक्रिप्शन अनुरोध की स्थिति की त्वरित जांच

चैनल सलेक्टर एप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर उपलब्ध कराया गया है। डीटीएच/केबल ऑपरेटर के ग्राहक इस एप से अपना सब्सक्रिप्शन देख सकते हैं, सब्सक्रिप्शन में बदलाव (चैनल शामिल करना/हटाना), नया सब्सक्रिप्शन तय करना और अपने सब्सक्रिप्शन को इष्टतम कर सकते हैं और इस प्रकार अपने पैसे का उचित मूल्य प्राप्त कर सकते हैं।

चैनल सलेक्टर एप को अधिक यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए यूजर एप मेन्यू में उपलब्ध ''फीडबैक' पर क्लिक करके

फीडबैक दे सकते हैं। यह चैनल सलेक्टर एप वर्तमान में प्रमुख डीटीएच ऑपरेटरों और मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स (एमएसओ/केबल ऑपरेटर) के साथ काम कर रहा है। हालाँकि, अन्य सेवा प्रदाताओं को भी प्लेटफार्म पर एकीकृत करने का प्रयास किया जा रहा है।

किसी भी सूचना के लिए श्री संजीव बंजाल, सलाहकार (आईटी व सीए), या श्री अरविंद कुमार, सलाहकार (बीएंडसीएस) भादूविप्रा से टेलीफोन नंबर– 011–23210990/ 011–200020209 पर या ईमेल–आईडी advisorit@trai-gov-in पर संपर्क किया जा सकता है।

(एस. के. गुप्ता)
सचिव,भादूविप्रा

अस्वीकरण: यह विज्ञप्ति मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति का हिंदी अनुवाद हैं। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति मान्य होगी।